

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर  
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: F.59 STP/DLB/EoDB(91)/18/ 2375

दिनांक :- 29/06/18

-:कार्यालय आदेश:-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/ईओडीबी (91)/17/2110 दिनांक 29.09.2017 द्वारा SWCS स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से राज्य में Building Plan Approval हेतु Online System तैयार कर लागू कर दिया गया था। उक्त क्रम में विभागीय आदेश एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/ईओडीबी (91)/17/2110 दिनांक 29.09.2017 द्वारा Building Plan Approval का कार्य Online ही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। निदेशालय स्तर पर समीक्षा पर नोट किया गया है कि नगरीय निकायों द्वारा Building Plan Approval का कार्य अभी भी Offline/Manual किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के Ease of Doing Business व AMRUT Reforms के तहत Building Plan Approval पूर्णतः Online किया जाना है।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भी अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 7034 दिनांक 29.05.2018 (प्रति संलग्न) के तहत OBPAS तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः समस्त नगर निगमों व नगर परिषदों को एतद्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है, कि Building Plan Approval का कार्य को OBPAS Software के माध्यम से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक: F.59 STP/DLB/EoDB(91)/18/ 2376-2382

दिनांक :- 29/06/18

प्रतिलिपी निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
5. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
7. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावे।

Xh55A 29/06/2018  
(आर.के. विजयवर्गीय)  
अति. मुख्य नगर नियोजक